संख्या 42/VI-1/2008–44(युवा)2002

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एव प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभागः

देहरादून दिनांक 12 मार्च 2008

विषयः निदेशालय हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 1020/दो–1473/2007–2008 दिनांक 26 दिसम्बर 2007, शासनादेश संख्या 74/VI-1/2006–44(युवा)2002 दिनांक 10 अक्टूबर 2006 तथा शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 74/VI-1/2006–44(युवा)2002 दिनांक 31 अक्टूबर 2007 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय एवं राज्य युवा कल्याण परिषद में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्युल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधिक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।तदोपरान्त ही आगंणन की स्वीकृति मान्य होगी।

6. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।

7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म हैं,स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणंन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी हैं, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायें।

9. नर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जायें।

जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगंणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10. किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाये तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें एवं डिग्री कालेजों /मेडिकल के हास्टलो का निर्माण एच0आई0 सी0 के मानकों के आधार पर प्रारभिक आगणन गठित किये जायें।

11. मुख्य सचिव उत्तरांचल के शासनादेश सं0 2047 XII–219/(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगंणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12. उपरोक्त आंवटित धनाशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा हैं। यहा यह भी स्पश्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता हैं, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं।

13. किसी भी में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका,बजट मैनुअल,भंडार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेडंर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

14. उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण देने के बाद ही आगामी अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

15. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–2008 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –4202–शिक्षा,खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –03–खेलकूद तथा युवा सेवा खेलकूद स्टेडियम –102–खेलकूद स्टेडियम (लघुशीर्षक 1 के स्थान पर) –10–युवा कल्याण निदेशालय के आवासीय भवनों का निर्माण –24–बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

16 उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–913(P) वित्त अनुभाग–3/2007 दिनांक 27 फरवरी 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्या:- 42 /VI-I/2008–44(युवा)2004 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी उत्तरांचल शासन।
4– अपर सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव